होकर तहसीलदार माडंल पटवार हल्का की ओर से
तहसीलदार माडंल पटवार हल्का ... की
मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया
गया। वास्ते पत्रावली विपक्षी सं. 1, 2, 3, 4
के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही एवं विपक्षी सं.
5, 6 की तामिल देखने हेतु पत्रावली दिनांक
16.7.21 को पेश हो।

16.7.21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30.7.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30.7.21 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 31.8.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

31.8.21 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी
सं. 1, 2, 3, 4 को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी
जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक
तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं
वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 2, 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही
नहीं चाहते है। एवं मौके पर इनके विरुद्ध कोई
विवाद नहीं है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी
चाही। बहस सुनी गयी वकील प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक
से लिखा जाकर पत्रावली फैसल किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर ... हो।

(Margin: प्रतिवादी 2 व 5 की ओर कोई आपत्ति नहीं आई है कोई विवाद नहीं था)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या – 27/21 प्रा०प०
1– श्री ओमप्रकाश S/o श्री रामेश्वरलाल शर्मा निवासी- भादू तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती भुवानी W/o श्री ऊंकार गाडरी निवासी - माण्डल तहसील माण्डल (वगैरा) (पृष्ठांकित प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 31.08.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......भादू......पटवार हल्का......भादू......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2957/1789......कुल किता......01......रकबा 0.5059 ~~बीघा~~ हैक्टेयर......~~बिस्वा~~ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ......12.02.21...... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......भादू......पटवार हल्का......भादू......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2957/1789......कुल किता......01......रकबा 0.5059 हैक्टेयर......बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु [illegible] को 400/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। [illegible] फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् [illegible] स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। [illegible] होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:10:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा